राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3202/2024

सीताराम तेतरवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रा. शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.10.2024
आदेश की दिनांक : 11.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर शहीद नरेन्द्र सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैतपुरा गोरवा, पंचायत समिति, भीम, जिला राजसमंद में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2012 में अध्यापक के पद पर हुई थी और उसे उक्त वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की पत्नी शिक्षा विभाग में नया गांव शेखावास, पंचायत समिति, भीम में पदस्थापित है और इस प्रकार दोनों राजसमंद जिले में पदस्थापित हैं जबकि अपीलार्थी जयपुर शहर सांगानेर तहसील का मूल निवासी है। अपीलार्थी के पिता कैंसर की बीमारी से पीडित हैं, जिनका उपचार चल रहा है। उनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

अपील संख्या 2811/2024 चुन्नीलाल वाले मामले में जारी आदेश दिनांक 06.09.2024 की पालना में उसका पदस्थापन प्रतापगढ जिला से अलवर जिला किया गया। अपीलार्थी ने पारिवारिक परिस्थिति को दर्शाते हुये दिनांक 09.05.2024 को अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया गया। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन का निस्तारण किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर शहीद नरेन्द्र सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैतपुरा गोरवा, पंचायत समिति, भीम, जिला राजसमंद में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के पिता कैंसर की बीमारी से पीडित होने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी के पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों। स्थानांतरण नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनो एक ही जिले में पदस्थापित हैं। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें लोक हित में कहां पर ली जानी हैं। किसी भी कार्मिक को अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष